<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 23.08.2024</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत लगातार भ्रमण शील रहते हुए परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण कर प्रथम पाली की परीक्षा को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया सम्पन्नः–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 23.08.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा–2023 की प्रथम पाली (पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे) की लिखित परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा कक्ष, सी0सी0टी0वी0 व सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया। परीक्षा केन्द्रों पर लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक व पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगणों से वार्ता कर पुलिस भर्ती की प्रथम पाली की परीक्षा को सुचितापूर्ण, निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराया गया। पुलिस भर्ती परीक्षा जनपद में 23 से 31 अगस्त तक जनपद के 13 परीक्षा केन्द्रों में हो रही है। प्रथम पाली की परीक्षा के दृष्टिगत कार्यकारी संस्था द्वारा प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका व गोपनीय सामग्री सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सुपुर्द किया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका व गोपनीय सामग्री को सम्बन्धित स्कूलों तक पहुँचाया गया तथा उसकी रिसीविंग कार्यकारी संस्था को दी गयी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोंग्राफी करायी गयी। ड्यूटी पर कार्यरत सभी अधि0/कर्मचारीगणों द्वारा सतर्क दृष्टि रखते हुए ड्यूटी का निर्वहन किया गया तथा कंट्रोल रूम द्वारा लगातार सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी गयी। प्रभारी यातायात द्वारा पुलिस बल के साथ भ्रमणशील रहकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखा गया। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.08.2024

थाना परसपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला–फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री उमेश्वर प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–284/24, धारा 363,366,376(3) भादवि 5/6 पाक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सरवन कुमार पुत्र स्व0 कल्लू नि0 ग्राम मदारी पट्टी पचमरी भम्भुआ थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को भटपुरवा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.06.2024 को थाना परसपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को विपक्षी सरवन कुमार द्वारा शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 23.08.2024 को थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त सरवन कुमार को भटपुरवा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता द्वारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान के उपरांत धारा 376(3) भादवि 5/6 पाक्सो ऐक्ट की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सरवन कुमार पुत्र स्व0 कल्लू नि0 ग्राम मदारी पट्टी पचमरी भम्भुआ थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–284/24, धारा 363,366,376(3) भादवि 5/6 पाक्सो ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय।
02. हे0का0 विनोद।
03. हे0का0 रामसेवक।
04. हे0का0 समरेन्द्र पाण्डेय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.08.2024

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–328/24, धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त साहिल अहमद पुत्र शाकिर अहमद नि0 ग्राम विरहमतपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को अमौसी एयरपोर्ट के पास स्थित होटल से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 18.08.2024 को थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की शौच के लिए बाहर गयी थी जो अभी तक वापस घर नही लौटी है। वादिनी की तहरीर पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 विक्रमादित्य द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त साहिल अहमद को अमौसी एयरपोर्ट स्थित होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता द्वारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान के उपरांत धारा 87,64(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. साहिल अहमद पुत्र शाकिर अहमद नि0 ग्राम विरहमतपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–328/24, धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 अभय सिंह थानाध्यक्ष वजीरगंज
02. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
03. उ0नि0 रामधारी दिनकर।
04. हेड का0 अतुल सिंह।
05. का0 मंजीत कुमार सिंह।
06. म0का0 सरिता।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 23.08.2024</u>

<u>'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रू0 के अर्थदण्ड की सजा–</u>

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र झब्बर को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोण्डा श्री सूर्य प्रकाश सिंह दोषसिद्ध किया गया है।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा दुराचार करने के आरोप में अभियुक्त शिवकुमार पुत्र झब्बर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री हषवर्द्धन पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार हेड का0 दिनेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 नम्रता चौधरी के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोण्डा द्वारा अभियुक्त शिवकुमार पुत्र झब्बर को धारा 376 के तहत 08 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 20,000/– रूपये के अर्थदण्ड व धारा 506 के तहत 01 वर्ष का कारावास व 2000/– रू0 की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

<u>अभियुक्त का नाम पता–</u>
01. शिवकुमार पुत्र झब्बर नि0 अकौनीपूरे रैकवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0–193/19, धारा 376,506 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 23.08.2024

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से शातिर चोरो को हुई 10–10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000–5000 रू0 के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप शातिर चोरो–01. रघुवंश मणि उर्फ उमेश तिवारी उर्फ रमेश तिवारी पुत्र दीप नारायण नि0 ग्राम ठढक्की पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा, 02. अविनाश चन्द्र उर्फ लल्लन पुत्र राम करन शुक्ल नि0 ग्राम मल्लापुर मौजा गौसिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–04 श्री राम दयाल द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा दिनांक 06.12.2020 को चोरी की 06 अदद मोटरसाईकिलों के साथ उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री घनश्याम पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना को0 नगर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 सरिता के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगणों को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–04 द्वारा धारा 411 भादवि के तहत 02–02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000–2000 रू0 के अर्थदण्ड, धारा 413 भादवि के तहत 10–10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000–5000 रू0 के अर्थदण्ड, धारा 419 भादवि के तहत 02–02 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000–2000 रू0 के अर्थदण्ड, 420 भादवि के तहत 05–05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000–5000 रू0 के अर्थदण्ड, 467 भादवि के तहत 10–10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000–5000 रू0 के अर्थदण्ड, 468 भादवि के तहत 05–05 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000–3000 रू0 के अर्थदण्ड व 471 भादवि के तहत 01–01 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. रघुवंश मणि उर्फ उमेश तिवारी उर्फ रमेश तिवारी पुत्र दीप नारायण नि0 ग्राम ठढक्की पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. अविनाश चन्द्र उर्फ लल्लन पुत्र राम करन शुक्ल नि0 ग्राम मल्लापुर मौजा गौसिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–951/20, धारा 411,413,419,420,467,468,471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा। जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.08.2024

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्याभिुक्तों को हुई अभियुक्त को हुई 10–10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000–20,000 रू0 के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप 03 दहेज हत्याभियुक्तों–01. कृष्णकुमार उर्फ छग्गू पुत्र भगौती उर्फ फूलन, 02. भगौती उर्फ फूलनपुत्र सुन्दरलाल, 03. श्रीमती सुमिरता पत्नी भगौती निवासीगण चूटियापुर मौजा कलावरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोण्डा श्री सूर्य प्रकाश सिंह द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।

दिनांक 15.02.2019 को वादी मुंशीलाल पुत्र रामशंकर नि0 कटराबाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री को उनके विपक्षीगणों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया है। कटराबाजार पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री हषवर्द्धन पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना कटराबाजार के पैरोकार, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 नम्रता चौधरी के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोण्डा द्वारा धारा 304बी के तहत 10–10 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 498ए के तहत 02–02 वर्ष के साधारण कारावास व 10,000–10,000/– रू0 की अर्थदण्ड व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट के तहत 01–01 के साधारण कारावास व 2000–2000/– रू0 की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता–
01. कृष्णकुमार उर्फ छग्गू पुत्र भगौती उर्फ फूलन नि0 चूटियापुर मौजा कलावरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. भगौती उर्फ फूलनपुत्र सुन्दरलाल नि0 चूटियापुर मौजा कलावरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. श्रीमती सुमिरता पत्नी भगौती नि0 चूटियापुर मौजा कलावरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–46/19, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।